न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 228/2011

सायलान :-

1. भगवतीदेवी पुत्री हापूराम
2. देवी पुत्री हापूराम
3. कान्ता पुत्री हापूराम
   जातियान-रेगर निवासी-धनेरिया
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

बनाम

गैरसायलान :-

1. हापूराम पुत्र धूलाराम रेगर
   निवासी-धनेरिया
2. हीरालाल पुत्र हापूराम रेगर
   निवासी-धनेरिया
3. लादूराम पुत्र शंकरराम बावरी
   निवासी-धनेरिया
4. उप पंजीयन अधिकारी कार्यालय
   जैतारण, जिला-पाली
5. पटवारी, पटवार हल्का-केकिन्दडा
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.20.12.2011

उपस्थितः- 1. श्री देवाराम कटारीया, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 13/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-धनेरिया, पटवार हल्का-केकिन्दडा, तहसील-जैतारण में सायलान के पिता के नाम की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 206 रकबा 68-19 बीघा किस्म बरानी दोयम की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में सायलान के पिता गैरसायलान संख्या 01 का नाम हैं। तथा पिता गैरसायलान संख्या 01 जो कि वृद्ध हैं व गैरसायलान संख्या 02 जोकि सायलान का भाई हैं के पास रहता हैं। व दिमागी हालत भी ठीक नही हैं। जिसे जबरन गैरसायल संख्या 02 ने अपने कब्जे में कर रखा हैं। जबकि मोकै पर मापिक वारिस हिस्से अनुसार सायलान का कब्जा काश्त हैं। सायलान की माता सोनी की मृत्यु के बाद गैरसायल संख्या 01 की शारीरिक स्थिति ठीक नही रही हैं। सायलान व गैरसायलान संख्या 02 गैरसायल संख्या 01 के विधिक वारिसान पुत्रीया हैं। गैरसायलान संख्या 02 की नियत खराब होने से सम्पूर्ण कृषि भूमि हड़प करना चाहता हैं तथा गैरसायल संख्या 01 जिसकी दिमागी हालत खराब होने का फायदा उठाकर उक्त सम्पूर्ण आराजी को गैरसायलान संख्या 03 को गैरसायल 04 के यहां पर बेचान करना चाहते हैं। व गैरसायल संख्या 03 जो कि झगडालू प्रवृति का व्यक्ति हैं, जो उक्त भूमि जबरन सायलान व गैरसायल संख्या 02 को घर में रुपयों की कोई जायज जरुरत नहीं हैं। गैरसायल सं 02 की शराबी प्रवृति का व्यक्ति हैं। सायलान को बर्बाद करने में तुला हुआ हैं। व उक्त भूमि बेचान करने की योजना बनाते हैं। सायलान के पास मात्र एक सही जमीन हैं। इसके अलावा सालयान के पास कोई बाप दादा की जमीन नही हैं। यदि उक्त जमीन बिना रुपयों की जायज जरुरत के बेचान कर दी जाती हैं, तो सायलान को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। सायलान महिलाए है व गैरसायलान सं. 01 की पुत्रियाँ हैं, जो ताकत के बल पर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुकाबला नही कर सकते हैं। इसलिये गैरसायलान को भूमि बेचान करने व बेदखल से रोकने के लिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश हैं। सभी गैरसायलान सं 02 ने दिनांक 16/12/2011 को आकर एलानिया धमकी दी कि अपना कब्जा खाली करो नही तो तुम्हें जान से खत्म कर देगें व उसके साथ गैरसायल संख्या 03 भी आया व कहा कि उक्त जमीन को मै स्वयं खरीद करुगां। जब सायलान ने उनसे हाथ जौडी की कि हमें गैरसायलान सं 02 रुपयों की जरुरत नही हैं तो नही माने व जान से मारने की धमकी दी। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में बखूबी प्रमाणित हैं। यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती उक्त भूमि को जबरदस्ती बेचान व अन्य हस्तान्तरण कर दिया तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन किसी भी सूरत में नही आका जा सकता हैं। इसलिये सुविधा का संतलन भी बखुबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहाते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। गै0सा0 संख्या 5 पटवारी-केकिन्दड़ा को पक्षकार बनाया गया। मजमा-ए-आम में पटवारी मौजूद हैं। पटवारी गै0सा0 संख्या 5 का कथन हैं कि सायलान द्वारा पक्षकार बनाया गया। किन्तु अनुतोष कुछ नहीं हैं। गै0सा0 द्वारा जबाब हेतु कई बार समय दिया गया। किन्तु उनके द्वारा जबाब पेश नहीं करने से जबाब दरख्वास्त बन्द किया जाता हैं। सायलान के पिता वृद्ध हैं और गै0सा0 काश्त में दखल करते हैं। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20/12/2011 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उक्त न्यायालय के आदेश को पुख्ता किया जाता हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-धनेरिया, पटवार हल्का-केकिन्दडा, तहसील-जैतारण में सायलान के पिता के नाम की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 206 रकबा 68-19 बीघा किस्म बरानी दोयम की भूमि के बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को पाबन्द किया गया था। जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द होने से न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश रहन, बेचान अन्य हस्तान्तरण आदि नही करने बाबत् दिनांक 20/12/2011 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner